क्रम संख्या—109

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1 खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 14 मार्च, 2008

फाल्गुन 24, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 521/79-वि-1–08-1(क) 10-2008

लखनऊ, 14 मार्च, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 14 मार्च, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2008)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1976 की धारा 5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"5– प्रधान रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार, किसी भी व्यक्ति द्वारा किये जा रहे साहूकारी के कारवार के लेखों और अन्य अभिलेखों का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का, जो विहित किये जायें, निर्वहन करेंगे।

धारा 7 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (4) में शब्द "दस वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 13 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 13 में,–

(क) उपधारा (1) में खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ङ) उधार की वसूली के लिए ऋणी को एक मास की नोटिस देगा और ऐसी नोटिस की एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजी जायेगी"।

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1–क) जहाँ ऋणी द्वारा साहूकार से उधार के सम्बन्ध में कोई सूचना मांगी जाती है वहाँ साहूकार ऐसी सूचना ऋणी को देने के लिए बाध्य होगा।"

नई धारा 13-क का बढ़ाया जाना

5–मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"13-क–यदि ऋणी नियत समय में उधार का प्रतिसंदाय करने में विफल रहता है तो साहूकार रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा जो ऋणी को उधार के प्रतिसंदाय करने के लिए आवश्यक निदेश जारी कर सकेगा।"

ऋणी के कर्तव्य

धारा 22 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 22 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"(1) धारा 10, धारा 11 या धारा 13 के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है और न्यूनतम पाँच हजार रुपये के जुर्माने से दण्डनीय होगा।"

धारा 23 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 23 में, उपधारा (1) में शब्द "दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से, जो तीन मास तक हो सकता है या जुर्माना से जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से" के स्थान पर शब्द "कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकता है और न्यूनतम पाँच हजार रुपये के जुर्माने से" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

समाज के दुर्बल वर्ग, जो साहूकारों से उधार लेने के लिए बाध्य होते हैं, के हितों की संरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1976) अधिनियमित किया गया है। राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि साहूकार, समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के साथ, अनाचारपूर्ण व्यवहार में लिप्त हैं और वे उनका शोषण कर रहे हैं। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि

उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय जिससे साहूकारों के ऐसे शोषण और उत्पीड़नात्मक कार्यों से समाज के दुर्बल वर्गों की संरक्षा की जा सके।

तदनुसार उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै० मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

No. 521(2)/LXXIX-V-1–08-1(ka)-10-2008

Dated Lucknow, March 14, 2008

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahukari Viniyaman (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 14, 2008.

THE UTTAR PRADESH REGULATION OF MONEY-LENDING (AMENDMENT) ACT, 2008

(U. P. ACT NO. 13 OF 2008)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending Act, 1976.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending (Amendment) Act, 2008. Short title

2. *For* section 5 of the Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending Act, 1976, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :— Amendment of section 5 in U.P. Act no. 29 of 1976

> "5. The Registrar General, the Registrars, the Deputy Registrars and the Assistant Registrars shall be responsible for inspecting half yearly the accounts and other records of the business of money-lending carried on by any person, and shall perform such other duties as may be prescribed."

3. In section 7 of the principal Act, in sub-section (4) *for* the words "ten years" the words "three years" shall be *substituted*. Amendement of section 7

Amendment of section 13

4. In section 13 of the principal Act,–

(a) in sub-section (1) *after* clause *(d)* the following clause shall be *inserted*, namely:–

"(e) give one month notice to the debtor for the recovery of loan and a copy of such notice shall be sent to the Registrar".

(b) after sub-section (1) the following sub-section shall be *inserted*, namely:–

"(1-A) Where any information regarding loan is sought by the debtor from the money-lender, the money-lender shall be bound to give such information to the debtor."

Insertion of new section 13-A

5. *After* section 13 of the principal Act the following section shall be *inserted*, namely :–

"13-A. In case the debtor fails to repay the loan in the stipulated period, the money-lender may make an application to the Registrar who may issue necessary directions to the debtor to repay the loan."

Duties of debtor

Amendment of section 22

6. In section 22 of the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely :–

"(1) Whoever willfully contravenes any of the provisions of section 10, section 11 or section 13 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine not less than five thousand rupees."

Amendment of section 23

7. In section 23 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "of either description which may extend to three months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both" the words "which may extend to three years and with fine not less than five thousand rupees."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending Act, 1976 (U.P. Act no. 29 of 1976) has been enacted to protect the interest of the weaker section of the society who are bound to take loan from money-lenders. It has been brought to the notice of the State Government that the money-lenders are indulging in malpractices in their dealings with economically weaker sections of the society and they are exploiting them. It has, thereore, been decided to amend the said Act so that the weaker section of the society may be protected from such exploitation and coercive actions of money/lenders.

The Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending (Amendment) Bill, 2008 is introduced accordingly.

By order,
S.M. A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1186 राजपत्र (हि0)–(2626)–2008–597 प्रतियां–(कम्प्यू0टी0/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 459 सा0विधायी–(2627)–2008–850 प्रतियां–(कम्प्यू0टी0/आफसेट)।